झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0)–गिरिडीह / PDS–99 / 2021– 379

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 08·06·2023

विषयः– **गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत सियाँटांड पंचायत के PDS डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द कर पुनः बहाल कर दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत–पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित शिकायत प्राप्ति हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये वाट्सएप्प नं0 पर श्रीमती प्रमीला देवी एवं अन्य के नाम से मो0 नं0–9661517079 के द्वारा एक परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद–पत्र में गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड अनतर्गत सियाँटांड पंचायत के राशन वितरक आईडिया भगवती महिला समूह, अनुज्ञप्ति सं0–56 / 2009 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक–13.04.2023 को रद्द कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। परिवाद–पत्र के साथ संलग्न जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश ज्ञापांक–1110 दिनांक–13.04.2023 द्वारा PDS वितरक के विरूद्ध राशन गबन करने की राशि 41,600 / – रू0 की वसूली करने हेतु जमुआ थाना में कांड सं0–321 / 2022 दिनांक–15.09.2022 U/S409 / 120 (B) दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही PDS वितरक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने का भी उल्लेख करते हुए उक्त दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है।

परिवादी का आरोप है पुनः पदाधिकारी एवं डीलर की मिलीभगत से दिनांक–17.04.2023 को उक्त दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने सम्बन्धी आदेश को विलोपित कर दिया गया है। यह भी कि राशन वितरक के विरूद्ध दर्ज थाना कांड में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राप्त परिवाद के साथ संलग्न जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश ज्ञापांक–1160 दिनांक–17.04.2023 द्वारा उक्त दुकान को रद्द किये जाने सम्बन्धी आदेश को ***"कतिपय कारण से"*** विलोपित करने का उल्लेख है।

अतः प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx325

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

Date-21-04.2023 Complaint no.- WA/297/2023

(136)

+91 96615 17079

YESTERDAY

जमुआ प्रखड के सियाँटांड पंचायत में संचालित आईडिया भगवती महिला समूह अनुज्ञप्ति संख्या 56/2009 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा 13.04.2023 को रद्द किया गया था लेकिन फिर पदाधिकारी और डिलर के मिली भगत के कारण 17.04.2023 को फिर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा पूर्व मे निर्गत आदेश को विलोपित कर दिया गया। जबकि दिनांक 26.08.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की जाँच हेतु तीन सदस्यी जाँच दल का गठन किया गया। उप विकास आयुक्त गिरिडीह के पत्रांक 139 / गो० दिनांक 30.08.2022 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 1965 / आ० दिनांक 30.08.2022 द्वारा विक्रेता को स्पष्टीकरण करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2089/ आ० दिनांक 12.09.2022 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता भगवती महिला समूह अनुज्ञप्ति संख्या 56 / 2009 ग्राम गोल्हैया पंचायत सियाटांड प्रखण्ड जमुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा उक्त विक्रेता से सम्बद्ध कार्डधारियों को श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा अनुज्ञप्ति संख्या 07/2017 के साथ सम्बद्ध किया गया था साथ ही राशन गबन करने का मो० 41600 (एकतालीस हजार छः सौ रूपय वसुली करने हेतु विक्रेता के विरुद्ध जमुआ थाना में कॉंड संख्या 321/2022 दिनांक 15.09.2022 U/S 409/120 (B) दर्ज किया गया लेकिन अभी तक किसी भी पदाधिकारी द्वारा केस का पर्यवेक्षण गाँव आ के नहीं किया गया है।

प्रमीलादेवी, देवकी देवी,अमृत महतो, विकाश विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा,लखिया देवी, हुल्लाश महतो, खगपति महतो, विक्की वर्मा, तथा अन्य सभी कार्डधारी।

9:04 pm

Sk 25.4.23

25/4/23

श्री विनोद

25/04/23

21
25.04.23

Forwarded many times

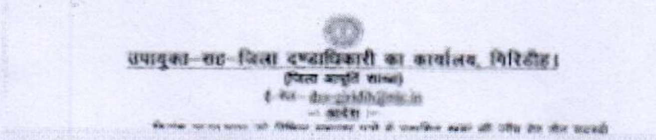
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

ltr 1110 dated 13.04.2023.pdf

1 page • PDF • 96 kB

9:05 pm

Forwarded many times

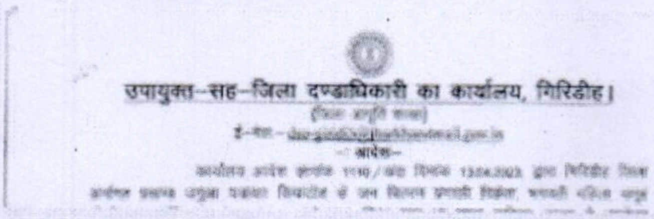
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

आदेश

ltr 1160 dated 17.04.2023.pdf

1 page • PDF • 63 kB

9:05 pm

135

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला आपूर्ति शाखा)

ई–मेलः– dso-giridih@nic.in

–: आदेश :–

दिनांक 26.08.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की जाँच हेतु तीन सदस्यी जाँच दल का गठन किया गया। उप विकास आयुक्त ,गिरिडीह के पत्रांक 139 /गो0 दिनांक 30.08.2022 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 1965/आ0 दिनांक 30.08.2022 द्वारा विक्रेता को स्पष्टीकरण करते हुए,कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2089/आ0 दिनांक 12.09.2022 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता भगवती महिला समूह अनुज्ञप्ति संख्या 56/2009 ग्राम गोल्हैया पंचायत सियांटाँड प्रखण्ड जमुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा उक्त विक्रेता से सम्बद्ध कार्डधारियों को श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा अनुज्ञप्ति संख्या 07/2017 के साथ सम्बद्ध किया गया। साथ ही राशन गबन करने का मो0 41600 (एकतालीस हजार छः सौ) रूपय वसुली करने हेतु विक्रेता के विरूद्ध जमुआ थाना में कांड संख्या – 321/2022 दिनांक 15.09.2022 U/S 409/120 (B) दर्ज किया गया हैं। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 में निहित प्रावधान के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेता भगवती महिला समूह अनुज्ञप्ति संख्या 56/2009 ग्राम–गोल्हैया पंचायत सियांटाँड प्रखण्ड जमुआ को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कार्यालय अधीक्षक,
जिला आपूर्ति कार्यालय गिरिडीह
13/04/23

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक ....1110....../आ0, दिनांक ..13/04/2023

प्रतिलिपिः– सम्बंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर जिला आपूर्ति कार्यालय ,गिरिडीह को ऑनलाईन करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भगवती महिला समूह अनुज्ञप्ति संख्या 56/2009 ग्राम–गोल्हैया पंचायत सियांटाँड,प्रखण्ड जमुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक गोदाम प्रबंधक , जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय अधीक्षक,
जिला आपूर्ति कार्यालय गिरिडीह
13/04/23

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गिरिडीह।

@r@

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला आपूर्ति शाखा)

ई–मेल:– dso-giridih@jharkhandmail.gov.in

–: आदेश:–

कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1110/आ0 दिनांक 13.04.2023, द्वारा गिरिडीह जिला अर्न्तगत प्रखण्ड जमुआ पचांयत सियांटॉड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, भगवती महिला समूह गोल्हैया अनुज्ञप्ति संख्यां 56/2009, को रदद् किया गया था परन्तु कतिपय कारण से उपरोक्त निर्गत आदेश को तत्काल प्रभाव से विलोपित की जाती है।

Bhagaulay 17/4/2023
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
17/04/23 गिरिडीह।

ज्ञापांक 1160/आ0, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपि:– भगवती महिला समूह गोल्हैया अनुज्ञप्ति संख्यां 56/2009, पचांयत सियांटॉड प्रखण्ड जमुआ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी जमुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जमुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुमण्डल पदाधिकारी खोरीमहुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

Bhagaulay 17/4/2023
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
17/04/23 गिरिडीह।

Mo.No.- 9661517079 Date- 21-04-2023 Complaint no.- WA/297/2023

(183)

24.4.23

डीलर को निलंबनमुक्त करने का हुआ विरोध

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : सियांटांड़ पंचायत में संचालित आइडिया भगवती महिला समूह के पीडीएस लाइसेंस को चार दिन में ही निलंबन मुक्त कर देने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि इस समूह के पीडीएस लाइसेंस को गत 13 अप्रैल को निलंबित किया गया था। 17 अप्रैल को निलंबन संबंधी निर्गत आदेश को विलोपित कर दिया गया। अगर डीलर पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। कहा कि उक्त समूह के विरुद्ध जमुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन अब तक किसी भी पदाधिकारी ने गांव आकर इसका पर्यवेक्षण नहीं किया है। विरोध जताने वालों में प्रमिला देवी, देवकी देवी, अमृत महतो, लखिया देवी, हुलास महतो आदि थे।

132

डीलर पर कार्रवाई नहीं तो आंदोलन

गिरिडीह, प्रतिनिधि। सियाटांड़ के कार्डधारियों ने डीलर पर कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दी है। कहा कि सियाटांड़ पंचायत में आइडिया भगवती महिला समूह का डीएसओ द्वारा 13 अप्रैल को अनुज्ञप्ति रद्द किया गया, लेकिन फिर पदाधिकारी और डीलर की मिलीभगत से 17 अप्रैल को फिर से निर्गत आदेश को विलोपित कर दिया गया। कार्डधारी प्रमिला देवी, देवकी देवी, विकास कुमार, चंदन कुमार ने कहा कि इस मामले में जमुआ थाना में केस दर्ज है।